रजिस्टर सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार दिसम्बर 12, 1981 (अग्रहायण 21, 1903)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 1981 (AGRAHAYANA 21, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और साधारण आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	759
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1593
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और साधारण आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1597
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	2481
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	3763
भाग II—खंड 3 (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	713
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	13655
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	617
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन व्यक्तियों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	189
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3337
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	237
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में डाक और तार के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

1—361GI/81

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	759
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1593
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1597
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2481
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	3763
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	713
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	13655
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	617
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	189
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3337
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	237
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 दिसम्बर 1981

नियम

सं. 4/55/80-के. से. (1)—निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड-1 की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1982 में ली जाने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित ग्रेड-1 (अवर सचिव) सीमित विभागीय परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग—1

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-1

वर्ग-1।

भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-1

वर्ग—111

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का ग्रेड-1

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का अभिप्राय संविधान में उल्लिखित जातियों जन जातियों में से किसी एक से है:—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान अनुसूचित जन जातियां (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां सूचियां आशोधन आदेश, 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जन जातियां) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश 1970, संविधान, (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

2. संघ लोक सेवा आयोग आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

3. (क) स्थायी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी जिसका नाम नीचे कालम-1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं की चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का है, तथा जिसने 31 दिसम्बर, 1981 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा से सम्बन्धित शर्तें पूरी कर ली हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग हेतु परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" में अथवा दोनों मे, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार 4 वर्ष से कम न हो।	वर्ग 1
सामान्य संवर्ग का समेकित ग्रेड-II और III और/या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक उप संवर्ग का चयन ग्रेड।	सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक उप संवर्ग के चयन ग्रेड अथवा दोनों में जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो।	वर्ग 11
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/या रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो।	वर्ग 111

टिप्पणी :—(1) केन्द्रीय सचिवमलय आशुलिपिक सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) के आशुलिपिक उपसंवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों के मामले में अनुमोदित सेवा में, उक्त सेवा के ग्रेड "ख"/ग्रेड-1 में की गई अनुमोदित सेवा की आधी अवधि शामिल होगी।

(2) सैनिक ड्यूटी में रहने पर अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को उपयुक्त पदों में से किसी भी पद के लिए निर्धारित सेवा-काल में गिनने की अनुमति दी जाएगी।

(3) (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड "क" तथा

(2) सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रड-।। और ।।। तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के आशुलिपिक उप संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों को, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से संवर्ग बाह्य पद पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी। किन्तु यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा स्थानान्तरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया हो और जिसका (।) और (।।) में उल्लिखित अपने अपने ग्रेड में पुनर्ग्रहणाधिकारी न हो।

4. परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा किसी बात के लिए उम्मीदवार की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

5. किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

6. आयोग द्वारा निम्नलिखित कारणों से घोषित दोषी उम्मीदवार को जिसने—

(1) किसी भी तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने; अथवा

(2) प्रतिरूपण करने; अथवा

(3) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाने; अथवा

(4) जाली अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनमें हेर-फेर किया हो; अथवा

(5) गलत अथवा असत्य विवरण देने अथवा तथ्य को छिपाने; अथवा

(6) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुपयुक्त तरीकों से काम लेने; अथवा

(7) परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने; अथवा

(8) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) में अप्रासंगिक विषय लिखने, जिसमें अश्लील भाषा अथवा अश्लील सामग्री शामिल हो; अथवा

(9) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने; अथवा

(10) परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करने अथवा उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने; अथवा

(11) पूर्वोक्त खण्डों में बताया गया कोई काम करने का प्रयत्न अगर कोई करता हो या इन कामों को करने के लिए किसी को उकसाता हो तो उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग तो चलाया ही जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है; अथवा

(ख) (1) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से;

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नियोजन से; स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बहिष्कृत किया जा सकता है; और

(ग) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न किया गया हो।

7. आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त समझेगा उनके नामों की, जिसमें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे, योग्यता क्रम में एक ही सूची बनाएगा और इस क्रम से जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य पाए जाएंगे उनकी चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित संख्या तक अनुशंसा की जाएगी।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

8. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

9. परीक्षा में सफल हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

10. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और उसकी उपर्युक्त नियम 3(क) के कालम-1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो।

एस. आर. अहीर
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

भाग-I निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा होगी जिनमें से हर एक के 200 अंक रखे गए हैं।

प्रश्न पत्र—I (1) भारत सरकार सचिवालय और संलग्न कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति

(वर्ग I और II के लिए)

(2) कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति

(वर्ग-III के लिए)

प्रश्न-पत्र-II भारतीय संविधान तथा शासन तंत्र का सामान्य ज्ञान संसदीय पद्धति और प्रक्रिया

प्रत्येक प्रश्न पत्र 2½ घंटे का होगा।

भाग—II आयोग की विवेक्षा पर ऐसे उम्मीदवारों के गोपनीय अभिलेखों का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार — 200 अंक

2. परीक्षा की पाठ्यचर्या अनुसूची के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। प्रश्न-पत्र, अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

टिप्पणी 1—सभी प्रश्नों के लिए एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्नपत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग विकल्प नहीं होगा।

टिप्पणी 2—उक्त प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के सम्बद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन करने की कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 3—प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी।

5. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग की विवेक्षानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

6. मात्र सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखाई के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा महत्वपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

9. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात (1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग I तथा II के लिए)।

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है:—

(1) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका

(2) कार्यालय प्रक्रिया पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

(3) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।

कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग-I।। के लिए)

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्याविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्ग दर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका।

(2) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेशों की पुस्तिका"।

भारत के संविधान और शासन तंत्र, संसद प्रक्रिया और पद्धति का सामान्य ज्ञान।

टिप्पणी:—निम्नलिखित विषयों के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है।

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धान्त।

(2) लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली।

(3) भारत सरकार के शासन तंत्र का संगठन-मंत्रालयों, विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनमें विषयों की आबंटन और उनके परस्पर सम्बन्ध।

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1981

शुद्धिपत्र

सं० 9/1/81-के० से० (दो)—इस विभाग की दिनांक 28 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 9/1/81-के० से० (दो) के नियम 4(1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :—

4(1) सेवाकाल : उसने "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ" (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 के विनियम 2(क) में परिभाषित है) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की अनुमोदित और लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) आयु : इस परीक्षा के लिए किसी उम्मीदवार की आयु "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ" (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 के नियम 2(ख) में परिभाषित है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एस० आर० अहीर, अवर सचिव

[यथासंशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड-9 के अन्तर्गत एक आदेश के मसौदे का नमूना]

संयुक्त म० नि० आ० नि० का कार्यालय

बंबई, दिनांक 11 अगस्त 1981

आदेश

सं० 3/35/80/ए० य्०/ई० एन० एफ०/बॉम/3004—सर्वश्री बंबई इम्स मन्युफैक्चर्स, साफिया मंजिल 24, कालीकट स्ट्रीट फोर्ट, बंबई-38 को टिन प्लेट वेस्ट के आयात के लिए 7,84,876/-रु० का एक लाइसेंस सं० पी०/एस०/1925201 दिनांक 19-3-80 इन शर्तों के अधीन जारी किया गया था कि आयातित माल का उपयोग लाइसेंसधारी की फैक्ट्री में ही किया जाएगा।

2. तत्पश्चात् एक कारण बताओ सूचना सं० 3/35/80/ई० एन० एफ०/बॉम/2091 दिनांक 21-8-80 उनसे यह पूछते हुए जारी की गई थी कि पन्द्रह दिन के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए गए उक्त लाइसेंस की धारा-9, उप-धारा (क) (गग) के अन्तर्गत इस आधार पर क्यों न रद्द कर दिया जाए और इस आधार पर कि उक्त लाइसेंस तथ्यों के गलत प्रतिवेदन और जालसाजी से प्राप्त किया गया है और जिस प्रयोजन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है वह उसे पूरा नहीं करेगा।

3. सर्वश्री बंबई इम्स मन्युफैक्चरर्स, बंबई-38 ने उक्त कारण बताओ सूचना के उत्तर के प्रति अपने पत्र दिनांक 16-9-80 में यह बताया है कि सभी संबद्ध दस्तावेजों के साथ उक्त लाइसेंस केन्द्रीय जांच ब्यूरो, बंबई के अधिकार में है और अनुरोध किया है कि यदि इस कार्यालय द्वारा किसी ब्यौरे की आवश्यकता हो तो वह कार्यालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क करें। तत्पश्चात् पार्टी ने अपने पत्र दिनांक 2-5-81 में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई एक उपयुक्त तिथि के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उनका वरिष्ठ साझीदार आजकल बाहर गया हुआ है। तदनुसार पार्टी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अन्य तिथि अर्थात् 20-7-81 समय 2.30 बजे दोपहर दी गई थी। फर्म के एक साझीदार श्री तहेर भाई अब्बास भाई इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 3-7-81 के उत्तर में अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 20-7-81 को मिले। श्री तहेर भाई अब्बास भाई ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय जांच

ब्यूरो को पहले से ही सभी बातें बता दी हैं और यह कहा कि उन्हें श्री प्रमोदभाई रावल जिनका चर्चगेट चेम्बर, 14वीं मंजिल में कार्यालय है और जो लाइजन का कार्य करते हैं, ने धोखा दिया था। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि उन्हें श्री एम० बी० मनलकर द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित अथवा हस्ताक्षरित उपभोग्य प्रमाणपत्र के बारे में कोई ज्ञान है। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके द्वारा लाइसेंस उक्त जाली प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया था जिसे अधिकृत लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर इस जालसाजी को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए और इस कार्रवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

4. अधोहस्ताक्षरी ने व्यक्तिगत सुनवाई के समय पर श्री सहेर भाई अब्बास भाई द्वारा व्यक्त किए बयान की भली-भांति जांच की है और यह पाया कि उपर्युक्त लाइसेंस जाली लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर धोखे से प्राप्त किया गया है और इसे प्रारम्भ से ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि फर्म का साझीदार जिसने यह कहने की कोशिश की कि उसे जाली लेखापाल प्रमाणपत्र पर की गई धोखेबाजी का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें भी उपर्युक्त लाइसेंस को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। फर्म का यह कहना कि आयात लाइसेंस केन्द्रीय जांच ब्यूरो बंबई के पास पड़ा हुआ है और मामला उन्हें भेजा जाए, अपने बचाव के लिए कोई वैधकारण नहीं है।

5. पूर्व की कंडिकाओं में जो कुछ भी कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अन्यथा रूप से अप्रभावकारी कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा-9, उप-धारा (क) (गग) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मर्वश्री बंबई ड्रम्स मैन्यु-फेक्चरर्स बंबई-38 के लिए जारी किया गया 7,84,876/- रु० का लाइसेंस सं० पी/एस/1925201 दिनांक 19-3-80 एतद्द्वारा रद्द करता है।

6. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वे यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली के सम्मुख आदेश की तिथि के 45 दिनों के भीतर एक अपील दाखिल करें जैसाकि समय-समय पर यथासंशोधित आयात व्यापार नियंत्रण अधि-सूचना सं० 12/66 दिनांक 10-11-1966 और जो अंतिम संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 17/76, दिनांक 20-8-76 में विशिष्टिकृत है। अपील करने की क्रियाविधि 1980-81 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण हैंड-बुक की कंडिका 265 में बताई गई है।

जी० बी० श्रीवास्तव, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 1981

सं० 1/4/80-सी० टी० ई०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860 के 21) के अन्तर्गत दिनांक 6-6-1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित की गई और समक्रमांकीय राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13-6-1980 द्वारा अधिसूचित सोसाइटी (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) की सदस्यता में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित परिवर्धनों/प्रतिस्थापनों की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

1. परिवर्धन

1. श्री एस० बी० चव्हाण, — सदस्य
योजना मंत्री और डिप्टी चेयरमैन,
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली—110001।

2. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, — सदस्य
सदस्य, योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली—110001।

3. डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह, — सदस्य
चेयरमन,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली।

2. प्रतिस्थापन

1. प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन्, सचिव, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नालॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली—110029 (10-8-1981 से सदस्य)	निम्नांकित के प्रतिस्थापन में (के स्थान पर) :— 1. डा० एम० वर्धराजन, चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पैट्रोरासायनिक कार्पोरेशन लिमिटिड जवाहर नगर, बड़ौदा।
2. डा० ए० एम० गांगुली, चेयरमैन, हिन्दुस्तान लीवर लि०, 165-166, बैकवे रिक्लेमेशन, बम्बई—400020 (सदस्य 10-8-1981 से)	2. डा० बी० रामचन्द्र राव, वाइस-चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, और
3. प्रोफेसर रहम अहमद, भौतिकी के प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ (उ० प्र०) (10-8-1981 से सदस्य) जैसा कि राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 1/11/80-सी० टी० ई० दिनांक 12-8-1981 में अधिसूचित है सी० एस० आई० आर० की शासी-सभा में उनकी सदस्यता मनोनीत हो जाने पर।	3. प्रोफेसर ए० के० शर्मा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 35, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता—19 जिनकी सी० एस० आई० आर० की शासी-सभा सदस्यता 9-8-1981 को समाप्त हो गई।

2. इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी स्वीकृति प्रदान की है कि :—

(क) श्री नारायण दत्त तिवारी जो योजना मंत्री और डिप्टी चेयर-मैन, योजना आयोग, नई दिल्ली की हैसियत से सोसाइटी के सदस्य नियुक्त किए गए थे, अब उद्योग और श्रम मंत्री, श्रम-शक्ति भवन, नई दिल्ली की हैसियत से सोसाइटी के सदस्य बने रहेंगे;

(ख) प्रोफेसर सतीश चन्द्र, 33 : औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-110001 जो हाल ही में चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पद से मुक्त हुए हैं, सोसाइटी (सी० एस० आई० आर०) के सदस्य बने रहेंगे;

और

(ग) डा० एस० जैड० कासिम, जो पहले चेयरमैन, समन्वयन परिषद्, भौतिक एवं भू-विज्ञान समूह के रूप में सी० एस० आई० आर० की शासी सभा के सदस्य थे (और उसी पद की हैसियत से सोसाइटी के सदस्य) अब सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण विभाग, टैक्नो-लाजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली के रूप में नियुक्त होने पर भी वे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से डा० यशपाल, निदेशक, इंडियन स्पेस ऐप्लीकेशन केन्द्र, अहमदाबाद जो अब विदेश चले गए हैं, के स्थान पर दिनांक 5-6-1982 तक सोसाइटी के सदस्य बने रहेंगे।

जी० एस० सिद्धू,
सचिव, सी० एस० आई० आर० के कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1981

संकल्प

सं० 6-1/80—वानिकी (वन्य प्राणि)—भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में इस मंत्रालय के तारीख 23-5-1980 के संकल्प सं० 6-1/80-वानिकी (वन्य प्राणि) के क्रम में यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव को भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड के सदस्य के रूप में भी शामिल किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

समर सिंह, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं० फा० 9-11/81-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, अनन्तपुर जिस में श्री सत्य साई कला और विज्ञान महिला महाविद्यालय, अनन्तपुर और श्री सत्य साई कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, प्रसांति निलयम शामिल हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय समझा जाएगा।

भ० र० कोल्हटकर, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 1981

संकल्प

सं० 314/23/79-एफ (पी)—फिल्म प्रभाग की डाकुमेंट्री फिल्म खरीद समिति के पुनर्गठन का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। यह समिति उन फिल्मों की उपयुक्तता के बारे में फिल्म प्रभाग को सलाह देती है जिनकी निजी निर्माताओं द्वारा फिल्म प्रभाग को खरीदने या भेंट स्वरूप देने के लिए पेशकश की जाती है। इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 202/28/76-एफ (पी) दिनांक 30-5-1978 द्वारा यथा संशोधित संकल्प संख्या 202/28/76-एफ (पी), दिनांक 31-10-1977 का अधिक्रमण करते हुए, अब उक्त समिति का तत्काल से निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है :—

सरकारी सदस्य :

1. मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, दूरदर्शन या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3. निदेशक, भारतीय जन संचारसंस्थान	सदस्य
4. आंतरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग, बम्बई	सदस्य-सचिव

गैर-सरकारी सदस्य :

5. श्री वसन्त जोगलेकर	सदस्य
6. श्री प्रेम प्रकाश	सदस्य
7. श्री केवार गोयल	सदस्य
8. श्री दुर्गादास चटर्जी	सदस्य
9. श्री जी० अरविन्दम	सदस्य
10. श्री मोहम्मद शमीम	सदस्य

2. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा।

3. समिति निजी निर्माताओं और अन्य एजेंसियों में डाकुमेंट्री फिल्मों की खरीद के लिए या निजी निर्माताओं से डाकुमेंट्री फिल्में भेंट स्वरूप देने के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा समय-समय पर प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच करेगी। समिति इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर फिल्मों की गुणवत्ता, सामान्य प्रचार के लिए जारी करने के लिए उनकी उपयुक्तता और इस प्रकार के अन्य संबंधित मानदंडों के आधार पर विचार करेगी और यह सलाह देगी कि क्या फिल्म प्रभाग को प्रश्नास्पद फिल्में प्राप्त करनी चाहिए या नहीं। समिति डाकुमेंट्री फिल्मों की खरीद से संबंधित सामान्य स्वरूप के मामलों पर भी विचार कर सकती है और फिल्म प्रभाग को अपनी सलाह दे सकती है।

4. समिति की सिफारिशें बहुमत के अनुसार होंगी बशर्ते कि कम से कम एक सरकारी सदस्य भी बहुमत का हो। समिति की सिफारिशों को सामान्यतया फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यदि मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह उसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अंतिम निर्णय के लिए भेज सकता है। समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार करेगी। समिति को सचिवालयीय सहायता फिल्म प्रभाग द्वारा उपलब्ध की जाएगी।

5. (क) समिति के सरकारी सदस्य अपने पद की हैसियत से समिति के सदस्य बने रहेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष का या सामान्य कार्यकाल के दौरान या बाद में सरकार द्वारा बदले जाने तक रहेगा।

(ख) किसी भी कारणवश गैर-सरकारी सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति में, प्रस्तावों पर विचार और सिफारिशें समिति के सरकारी सदस्यों द्वारा दी जाएंगी।

(ग) गैर-सरकारी सदस्य अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे किन्तु वे नियमों के अंतर्गत यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों के पात्र होंगे। गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान एस० आर० 190 और सरकार द्वारा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा। सरकारी सदस्य अपना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, जो नियमों के अंतर्गत उनको देय हो, उस स्रोत से लेंगे जिससे वे अपना वेतन लेते हैं।

6. समिति द्वारा दी गई और फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकार की गई सिफारिश के विरुद्ध अपील सूचना और प्रसारण मंत्रालय को, इस प्रकार के निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

7. डाकुमेंट्री फिल्म खरीद समिति की सिफारिशों पर या सरकार के आदेशों पर फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी डाकुमेंट्री फिल्मों का खरीद मूल्य निश्चित करने के लिए फिल्म प्रभाग की एक मूल्य समिति होगी। मूल्य समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग।
2. उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
3. आन्तरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को स जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० बिक्रम सिंह, निदेशक (फिल्म)

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 1981

संकल्प

सं. 1/3/81/सी. पी.—भारत सरकार ने अखिल भारतीय शक्तिचालित करघा बोर्ड गठित करने का विनिश्चय किया है।

2. इस बोर्ड का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से एक वर्ष का होगा।

3. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री प्रणव कुमार मुखर्जी,
वाणिज्य मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

उपाध्यक्ष

2. श्री खुरशीद आलम खां,
वाणिज्य राज्य मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

सदस्य

3. मंत्री—शक्तिचालित करघा प्रभारी, गुजरात सरकार, गांधीनगर।
4. मंत्री—शक्तिचालित करघा प्रभारी, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
5. मंत्री—शक्तिचालित करघा प्रभारी, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
6. मंत्री—शक्तिचालित करघा प्रभारी, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़।
7. मंत्री—शक्तिचालित करघा प्रभारी, तमिलनाडु सरकार, मद्रास।
8. मंत्री—शक्तिचालित करघा प्रभारी, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता।
9. अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग, 3-इरला रोड, विले पारले (पश्चिम), बम्बई।
10. सचिव, वस्त्र विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
11. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वस्त्र विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
12. विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
13. विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
14. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
15. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।
16. संयुक्त सचिव, शक्तिचालित करघा प्रभारी, वस्त्र विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
17. भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि।
18. अध्यक्ष, भारतीय सूती मिल परिसंघ, बम्बई।
19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ, नई दिल्ली।
20. अध्यक्ष, भारतीय कृत्रिम रेशम बुनकर उद्योग परिसंघ, बम्बई।
21. अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ, बम्बई।
22. अध्यक्ष, अखिल भारतीय शक्तिचालित करघा
22. अध्यक्ष, अखिल भारतीय शक्तिचालित करघा परिसंघ, इचलकरन्जी।
23. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सूर्यकिरण बिल्डिंग, नई दिल्ली।
24. आंध्र प्रदेश राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
25. असम राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
26. गुजरात राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
27. महाराष्ट्र राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
28. मणिपुर राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
29. उड़ीसा राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
30. राजस्थान राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
31. तमिलनाडु राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
32. उत्तर प्रदेश राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
33. पश्चिमी बंगाल राज्य के शीर्ष शक्तिचालित करघा निगम का एक प्रतिनिधि
34. श्री पी. एस. के. शानमुगा राजन,
वी. पुडूर (पा. आ.) पुडुछतरम् (वाया)
नमाक्कल ताल्लुक, जिला सलेम।
35. श्री एम. रमाकान्त राव,
महासचिव,
ए. पी. पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन,
युसुफगुडा, हैदराबाद।
36. श्री हाजी हयात मोहम्मद,
भूतपूर्व अध्यक्ष,
नगरपालिका, तांडा,
फैजाबाद, उ. प्र.।
37. श्री धनपाल तारे,
अध्यक्ष,
आल इंडिया फैडरेशन वीवर्स एसोसिएशन
इचलकरन्जी।
38. वस्त्र आयुक्त, सदस्य-सचिव
यू. सी. जी. ओ. बिल्डिंग,
यू मैरीन लाइन्स,
बम्बई-400020।

4. बोर्ड सामान्यतः देश में वस्त्र उद्योग के शक्तिचालित करघा क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देगा जिसमें अप्राधिकृत शक्तिचालित करघों के लगाए जाने को रोकने तथा समुचित राजकोषीय उपायों

करके शक्तिचालित करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों के बीच अवांछनीय प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना भी शामिल है।

5. बोर्ड विशेष बैठकों अथवा अवधियों के लिए सदस्यों के सहयोजित करने के लिए सक्षम होगा।

6. बोर्ड कार्यविधि के अपने नियम बनाएगा।

7. बोर्ड जब भी आवश्यक समझेगा अपनी बैठकें करेगा लेकिन सामान्यत: वर्ष में कम से कम दो बैठक अवश्य की जाएंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. के. दत्त, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 12th December 1981

No. 4/55/80-CS(I).—The rules for a combined Grade—I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates to be held by the Union Public Service Commission in 1982 for additions in the Select Lists for Grade-I of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned, published for general information.

CATEGORY I

Grade I of the Central Secretariat Service.

CATEGORY II

Grade I of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

CATEGORY III

Grade I of the Railway Board Secretariat Service.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation Act, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; the Constitution (Andaman and Nicobar Island) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act; 1976; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; the Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970; the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix—to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. (a) Permanent Officers or any officer whose name has been included in the select list of the grades and services mentioned in column I below who belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and who on 31st December, 1981 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
Section Officers' Grade ofs the Central Secretariat Service and/or Grade A of the Central Secretariat Stenographers' service.	Not less than 4 years approved and continyous service in the Section Officers' Grade of the Central Secretariat service or in Grade A of the Central Secretariat Stenographers' service or in both as the case may be.	Category I
Integrated Grades II and III of the General Grade and/or Selection Grade of the Stenographers' sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Not less than 4 years approved and continous service in integrated Grades II and III of the General Cadre or in Selection Grade of the Stenographers' sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in both as the case may be.	Category II
Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Secrevice and/or Grade A of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 4 years approved and continous service in the Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat service or in Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' service or in both as the case may be.	Category III

Note : (1) In the case of Grade 'A' Officers of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service, Branch (B) the approved service shall include half of the approved service rendered in Grade 'B'/Grade I of that service.

(2) Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

(3) (i) Section Officers of the Central Secretariat Service/ Railway Board Secretariat Service and Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service, and

(ii) Officers of the Integrated Grade-II and III of the General Cadre and Selection Grade of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service Branch (B), who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination if otherwise eligible. Provided that it shall not apply to an officer who has been appointed to annex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the respective Grade mentioned at (i) and (ii).

4. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) Impersonating; or

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false; or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanenty or for a specified period.

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any emp'o - ment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules, provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

7. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select lists, upto the required number.

Note.— Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

8. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. Candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quite the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the grades and Services mentioned in column 1 of the Rule 3(a) above will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

S. R. AHIR, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I :—Written examination consisting of two papers in the following subjects each carrying 200 marks :

Paper I : (i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices.

(For Categories I and II)

(ii) Office procedure and practice.

(For category III)

Paper II General Knowlede of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament.

The papers will be of 2½ hours duration each

Part II : Evaluation of C. Rs and interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion—200 marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers either in English or in Hindi (Devanagari). Question papers will be set in English and Hindi.

Note 1 : The option will be same for all the questions and not for different questions in the same paper.

Note 2 : Candidates desirous of exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in the relevant column of the application form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alternation in the said column shall be entertained.

Note 3 : Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the parts of the examination. Only those candidate who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be considered for evaluation of C.Rs and called for interview.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subject will be made for illegible hand-writing.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

9. Candidates should use only International form of Indian numerals e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

Where knowledge of the Rules, Orders. Instructions etc. is required, candidates will be expected to be conversant with amendments issued upto the date of notification of this examination.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICERS

(For categories I and II)

Ths is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE

(For category III)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board). Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification issued by the Ministry of Railways (Railway Board).

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT, PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT.

Note :—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocatoin of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation interests.

The 28th November 1981

CORRIGENDUM

No. 9/1/81-CS.II.—Substitute Rule 4(1) & (2) of this Department's Notification No. 9/1/81-CS.II, dated the 28th March. 1981 by the following :-

4(1) Length of Service: He should have, on the 'crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade D (Competitive Examination) (Regulations, 1969) rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(2) Age : A candidate for this examination should not be more than 50 years of age on the 'crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade D (Competitive Examination) (Regulations 1969).

S. R. AHIR, Under Secy.

SPECIMEN DRAFT OF AN ORDER UNDER CLAUSE 9 OF THE IMPORTS (CONTROL) ORDER, 1955, AS AMENDED]

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

Bombay, the 11th August 1981

ORDER

No. 3/35/80/AU/ENF/BOM/3004.—A licence no. P/S/1925201 dated 19-3-80 of the value of Rs. 7,84,876/- for import of Tin Plate waste was issued to M/s. Bombay Drums Manufacturers, Safia Manzil 24, Calicut Street Fort, Bombay-38 subject to the conditions that the imported material will be utilised in the licence holder's factory.

2. Thereafter, a show cause notice no. 3/35/80/ENF/BOM/2091 dated 21-8-80 was issued asking them to show cause within fifteen days as to why the said licence in their favour should not be cancelled in terms of clause 9, subclause (a) (cc) on the grounds that the said licence has been obtained by them by mis-representation of facts and fraud and that same will not serve the purpose for which the licence inquestion has been issued.

3. M/s. Bombay Drums Manufacturers, Bombay-38., by their letter dated 16-9-80 replied to the above said show cause notice that the said licence together with all the relevant documents are in the Custody of CBI Bombay and requested this office to contact CBI, if any details required by this office. Subsequently party vide their letter dated 2-5-81 requested for a suitable date for personnel hearing, as their senior partner is out of station at present. Accordingly party was given another date for personal hearing i.e. 20-7-81 at 2.30. p.m. Shri. Taher Bhai Abbas Bhai, a partner of the firm appeared before the undersigned for personal hearing on 20-7-81 in response to this office memo. of even no. dated 3-7-81. Shri Taher Bhai Abbas Bhai stated that he has already explained every thing to CBI and that he was cheated by Shri Pramodbhai Rawal, who has an office at Churchgate Chamber, 4th floor, and doing the liasion work. He denied having any knowledge of the consumptional certificate having been countersigned or signed by Shri S. B. Satalkar. It was explained to him that the licence that has been obtained by them on the basis of the said forged certificate, deserves cancellation in view of this forgery committed on the Chartered Accountants certificate to which he has no objection.

4. The undersigned has carefully examined the submission made by the Shri. Taher Bhai Abbas Bhai at the time of personal hearing that the aforesaid licence has been obtained by fraudulent means on the basis of the forged chartered accountants certificate and as such deserves to be cancelled abintio. Even the partner of the firm who tried to say that he had no knowledge of the forgery committed on the Charter Accountant's certificate, had no objection to the aforesaid cancellation. The firm's plea that the import licence is lying with the CBI Bombay and the matter may be referred to them does not contain any valid defence.

5. Having regard to what has been stated in the proceeding paragraph, the undersigned is staisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, In exercise of the powers

vested in him under clause 9 sub-clause (a) (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licence No. P/S/1925201 dated 19-3-80 for Rs. 7,84,876/- issued in favour of M/s. Bombay Drums Manufacturers Bombay-38.

6. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under clause 10(2) of the Imports (Control) Order 1955, as amended, to the competent authority i.e. Additional Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhavan, New Delhi as pecified in Government of India, Ministry of Commerce Import Trade Control Notification no. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notification no. 17/76 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure for 1980-81 lays sown the procedure for filing an appeal.

G. B. SRIVASTAVA
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 18th November 1981

No. 1/4/80-CTE.—It is notified for general information that the following additions/substitutions have been approved by the Government of India in the Membership of the Society (Council of Scientific & Industrial Research) reconstituted for a period of two years with effect from 6-6-1980 for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860) and notified *vide* Gazette Notification of even number dated 13-6-1980 :—

I. *Additions*

MEMBERS

1. Shri S. B. Chavan,
Minister of Planning &
Deputy Chairman,
Planning Commission,
Yojana Bhavan,
New Delhi-110001.

2. Dr. M. S. Swaminathan,
Member,
Planning Commission,
Yojana Bhavan,
New Delhi-110001.

3. Dr. (Mrs.) Madhuri R. Shah,
Chairman,
University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

II. *Substitutions*

1. Prof. M.G.K. Menon,
Secretary to the Govt. of India,
Department of Science &
Technology,
Technology Bhavan,
New Mehrauli Road,
New Delhi-110029.

(Member—From 10-8-1981)

In substitution of :
(*i*) Dr. S. Varadarajan, Chairman-cum-Managing Director, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Jawaharnagar, Baroda;
(*ii*) Dr. B. Ramachandra Rao,

2. Dr. A.S. Ganguly,
Chairman,
Hindustan Lever Ltd.,
165-166, Backbay Reclamation,
Bombay-400020.
(Member—From 10-8-1981)

Vice-Chairman, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi; and
(*iii*) Prof, A. K. Sharma, Calcutta University, 35, Ballygunje Circular Road, Calcutta-19,

3. Prof. Rais Ahmed,
Professor of Physics,
Aligarh Muslim University,
Aligarh (U.P.).

(Member —From 10-8-1981)

whose term of membersing of the Governing Body, CSIR expired on 9-8-1981.

on their being nominated as Members of the Governing Body of CS IR, as notified vide Gazette Notification No. 1/11/80-CTE dated 12-8-1981.

2. The Government has further approved that:

(a) Shri Narayan Datt Tiwari, who was appointed as a Member in his capacity as Minister of Planning & Deputy Chairman, Planning Commission, New Delhi may continue to be a Member of the Society in his capacity as Minister of Industry & Labour, Shram Shakti Bhavan, New Delhi;

(b) Prof. Satish Chandra, 33, Aurangzeb Road, New Delhi-110001, who has since demitted the charge of the office of the Chairman, University Grants Commission, New Delhi, may continue to remain a Member of the society; and

(c) Dr. S. Z. Qasim, who was previously a Member of the Governing Body, CSIR, as Chairman of Coordination Council, Physical & Earth Sciences Group (and in that capacity a Member of the Society), may, on his appointment as Secretary, Government of India Department of Environment, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 continue to remain Member of the Society in his personal capacity till 5-6-1982 in place of Dr. Yash Pal, Director, Indian Space Application Centre, Ahmedabad, who has now left the country.

G. S. SIDHU
Secy. to the Govt. of India,
Department of Science & Technology
for C.S.I.R. Affairs and
Director-General Scientific Technology
Industrial Research, New Delhi.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRI. & COOPERATION)

New Delhi, the 2nd November 1981

RESOLUTION

No. 6-1/80-FRY(WL).—In continuation of this Ministry's Resolution No. 6-1/80-FRY(WL) dated 23rd May 1980, reconstitution the Indian Board for Wildlife, it has been decided to include the Secretary, Department of Environment, Government of India, also as a Member of the Indian Board for Wildlife.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concrened.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAMAR SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 10th November 1981

No. F. 9-11/81-U.3.—In exercise of the Powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) the Central Government, on the Advice of the Commission, hereby declare that Shri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Anantpur comprising of Sri Sathya Sai Arts and Science College for Women, Anantpur and Sri Satya Sai Arts, Science and Commerce College, Prasanthi Nilayam shall be deemed to be a University for the purpose of the aforesaid Act.

M. R. KOLHATKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th November 1981

RESOLUTION

No. 314/23/79-F(P).—The question of reconstituting the Documentary Film Purchase Committee of the Films Division has been under consideration of the Government for some time past. This Committee advices the Films Division on the suitability of films offered for purchase or donation by private producers to the Films Division. It has now been decided, in supersession of this Ministry's Resolution No. 202/28/76-FP dated the 31st October, 1977, as amended *vide*

Resolution No. 202/28/76-F(P) dated the 30th May, 1978 to reconstitute the Committee, with immediate effect, as follows :—

Officials

(1) Chief Producer, Films Division, Bombay—Chairman
(2) Director General, Doordarshan or his nominee —Member
(3) Director, Indian Institute of Mass Communications —Member
(4) Internal Financial Adviser, Films Division, Bombay —Member-Secretary

Non-officials

(5) Shri Vasant Joglekar —Member
(6) Shri Prem Prakash —Member
(7) Shri Kedar Goyal —Member
(8) Shri Durgadas Chatterjee —Member
(9) Shri G. Aravindan —Member
(10) Shri Mohammed Shamim —Member

2. The headquarters of the Committee will be at Bombay.

3. The Committee will examine all proposals received from time to time by the Films Division for purchase of documentary films from independent producers and other agencies or offers of donation of documentary films from independent producers. The committee will consider all such proposals on the basis of quality, suitability for general publicity release and such other relevant criteria and advise whether the films in question should be acquired by the Films Division or not. The Committee may also consider matters of general nature concerning purchase of documentary films and tender its advise to the Films Division.

4. The recommendations of the Committee shall be in accordance with the view of the majority subject to the condition that at least one of the official members is also of the majority view. The recommendations of the Committee will normally be accepted by the Films Division. If the Chief Producer Films Division disagrees with the recommendations of the committee he may make a reference to the Ministry of Information & Broadcasting for a final decision. The committee will meet as and when necessary. Secretariat assistance to the Committee will be provided by the Films Division.

5. (a) The official members of the Committee will continue to be the members of the Committee by virtue of the office held by them. The normal tenure of non-official members will be two years or until replaced by the Government during or after the normal tenure.

(b) In the absence of non-official member/s for any reason, the proposals will be considered and recommendations made by the official members of the Committee.

(c) The non-official members will function in an honorary capacity but will be eligible to travelling-allowance and other allowances admissible under the Rules. The grant of TA and DA to the non-official members will be regulated in accordance with the provision of S. R. 190 and orders issued thereunder by the Government of India from time to time. The official members of the Committee will draw their TA and DA as admissible to them under the rules applicable to them from the source from which their pay is drawn.

6. An appeal against the recommendation made by the Committee and accepted by the Film Division can be made to the Ministry of Information & Broadcasting within 30 days from the date of communication of such a decision. The decision of the Ministry of Information & Broadcasting in such cases shall be final.

7. There shall be a Pricing Committee for the Films Division to determine the purchase price for all documentaries to be acquired by the Films Division whether on the recommendations of the Documentary Film Purchase Committee or the orders of the Government. The members of the Pricing Committee will be as under :—

(1) Chief Producer, Films Division
(2) Deputy Secretary (Finance), Ministry of I&B
(3) Internal Financial Adviser, Films Division.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. BIKRAM SINGH, Director (Films).

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF TEXTILES)

New Delhi, the 23rd November 1981

RESOLUTION

No. 1/3/81-CP.—The Government of India have decided to constitute an All India Powerloom Board.

2. The term of office of the Board will be for a period of one year, with effect from the date of issue of this Resolution.

3. The Board will consist of the following members :—

Chairman

1. Shri Pranab Kumar Mukherjee,
Minister of Commerce,
Government of India,
New Delhi.

Vice-Chairman

2. Shri Khurshid Alam Khan,
Minister of State for Commerce,
Government of India,
New Delhi.

Members

3. Minister-in-charge of Powerlooms, Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar.
4. Minister-in-charge of Powerlooms, Govt. of Karnataka, Bangalore.
5. Minister-in-charge of Powerlooms, Govt. of Maharashtra, Bombay.
6. Minister-in-charge of Powerlooms, Govt. of Punjab, Chandigarh.
7. Minister-in-charge of Powerlooms, Govt. of Tamil Nadu, Madras.
8. Minister-in-charge of Powerlooms, Govt. of West Bengal, Calcutta.
9. Chairman, Khadi & Village Industries Commission 3-Irla Road, Vile Parle (West), Bombay.
10. Secretary, Department of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.
11. Additional Secretary & Financial-Adviser, Department of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.
12. Development Commissioner, Small Scale Industries, Govt. of India, Nirman Bhavan, New Delhi.
13. Development Commissioner, (Handlooms), Govt. of India, Udyog Bhavan, New Delhi.
14. Development Commissioner, (Handicrafts), Govt. of India, R. K. Puram, New Delhi.
15. A representative of the Union Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi.
16. Joint Secretary in charge of Powerlooms, Department of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.
17. A representative of the Reserve Bank of India.
18. Chairman, Indian Cotton Mills' Federation, Bombay.
19. Chairman, National Cooperative Consumers' Federation, New Delhi.
20. Chairman, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry, Bombay.
21. Chairman, Indian Woollen Mills' Federation, Bombay.

22. Chairman, All India Powerloom Federation, Ichalkaranji.

23. Managing Director, National Textile Corporation, Surya Kiran Building, New Delhi.

24. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Andhra Pradesh.

25. A representative from the Apex Powerloom Body of the State of Assam.

26. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Gujarat.

27. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Maharashtra.

28. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Manipur.

29. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Orissa.

30. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Rajasthan.

31. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Tamil Nadu.

32. A representative from the Apex Powerloom body of the State of Uttar Pradesh.

33. A representative from the Apex Powerloom body of the State of West Bengal.

34. Shri P. S. K. Shanmuga Rajan,
V. Pudur (P.O.), Puduchatram (via)
Namakkal Taluk, Salem District.

35. Shri M. Ramakantha Rao,
General Secretary,
A.P. Powerloom Weavers' Association,
Yousufguda, Hyderabad.

36. Shri Haji Hayat Mohammad,
Ex-Chairman,
Nagarpalika, Tanda,
Faizabad, Uttar Pradesh.

37. Shri Dhanpal Tare,
President,
All India Federation of Powerloom Weavers' Association, Ichalkaranji.

38. Textile Commissioner, Member-Secretary.
New CGO Bldg.,
New Marine Lines,
Bombay-400 020.

4. The Board will advise the government generally on matters concerning the growth and development of the Powerloom sector of the Textile industry in the country including the steps necessary for preventing the installation of unauthorised powerlooms and eliminating undesirable competition between the powerloom and the handloom sectors by means of appropriate fiscal measures.

5. The Board will be competent to co-opt members for particular meetings or periods.

6. The Board will frame its own rules of procedure.

7. The Board will meet as often as it considers necessary but ordinarily not less than twice in a year.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. DUTT, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981